

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : १३९/प्र०अ०-मह०/जोन-१/शक०/प्र०स्ता०/२०१२ १३ दिनोंक०२५/०७/२०१३

### विनियोगितीकरण/अनुमति पत्र

यह विनियोगितीकरण निमांप को अनुमति ज्ञापन नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु वार्षिक वह न समझना चाहिये कि उत्तर भूमि ले सन्दर्भ में ऐसे प्रति विनियोगितीकरण/Extension मानवित्र स्वीकृति केशा जा रहा है। इससे किसी एकार या छिपी रथनीय विविध या इसका स्थनीय अधिकारि या व्यावेद शब्दका फर्म के वालिकाना उभेकारों पर विरी का कोई ऊस धड़गा अर्थात् वह अनुमति किसी के मिल्जियत वा एवं गिल के अदिलांगों के विज्ञप्ति कोई ग्राम्य न रखेगी।

इस चूप्ती० वादव एवं शीमली लिपिता यादव स्थल शुखम्भु संख्या-५३ खाली टाउन एक्सटेंशन स्कीम, घटन राज्या-२०८०/१५/१, बंगला नं०-१५ (पुराना) हारियापुर रोड, इलाहाबाद जान संख्या (१) के अन्तर्गत दासिन विनियोगितीकरण/Extension मानवित्र उपाधिक नहोदय के स्वीकृति/निर्माण आवेदन विनांक ०१.०१.२०१३ एवं ०३.०७.२०१३ के अनुपालन में निम्नांकित प्रतिवर्वदी ले उद्दीन विनियोगिता/अनुनन्द किए जा रहे हैं :

१. उपर्युक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम द्वारा कोई ख.स. '५५ (१) के प्राप्तियां के अनुपालन घटन निमांप एवं दिक्षित उपलिहो २००४ से उपवित्रि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में विर्धारित प्रतिवर्वदा पूर्ण कर पूर्णता प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनान्त्रिम (Provisional), स्वीकृति के रूप में होगी। 'निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, शम्भी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C. को इर्हे पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता ब्रगांग-पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एवं उत्तराधि समरूप अंगचारिकायों पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
३. स्थल गर ४X३ लिट का एक बोर्ड रागाकर स्वीकृति सन्वादी विवरण आंकित करना होगा।
४. स्थल ५५ १५ वादव एवं लग्ना द्वारा दी गया तथा वृष्टि जो ७४-५८ वर्षों का दिव्य आवेदक होगा।
५. मानवित्र गौं दर्शन पाकेंग राजल के गृण के निर्गति को हठाकर पाकेंग स्थल को ल्लीनर करना होगा।
६. स्थल ५५ रेगिस्टर हार्डेस्टिंग प्रमाणी नामक के अनुभाव विकसित कर भू-वर्ग जल बोर्ड से सानापति प्रमाण नक्त प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
७. मुख्य अग्नि रामन अधिकारी द्वी अनागति पत्र राज्या-२०१३/इल०/००३९/स्ट०ल०/००१४ दिनांक १६.०१.२०१३ में अंकित प्रतिवर्वदा का अकारण अनुपालन करना होगा। (छायापति संलग्न)
८. नगर आयुक्त, नवार नियम इलाहाबाद की अनापति पत्र संलग्न-७८/न०३०/STCE/13, दिनोंक ३० दूनवरी, २०१३ गैं अंकित रामन प्रतिवर्वदा दायकारी होंगे।
९. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत नामांतरण पत्र संख्या-१५९/प्र०अ०-इम्प०/२००४/२०१३-१४ दिनांक २८.०५.२०१३ में अंकित प्रतिवर्वदा का अनुपालन वाधाकारी होगा।
१०. नर्सिंग होम में राफलक रोगों का इलाज पूर्णतया निषिद्ध होगा।
११. नर्सिंग होम का बेस्टेज डिस्पोजल पंजीकृत संस्था के माध्यम से नियन्त्र रूप से किया जाय।
१२. मानवित्र में दर्शित दू-धी डिमालेश नाम के कुशल इन्जीनियर की देख सेवा में व्यवस्था उत्पादन नियम प्रवर्तन के अनुसार करना होगा।

Continued

